एक नजर

रिज क्षेत्र में नहीं होने दिया जाएगा अतिक्रमण

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में जवाब दाखिल कर कहा है कि दक्षिण दिल्ली के रिज क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। वन विभाग की तरफ से दाखिल जवाब में कहा गया है कि रिज क्षेत्र में फेंसिंग का कार्य हो रहा है, जो जल्द पूरा हो जाएगा। अगली सुनवाई 26 जून को होगी। वन विभाग के मुख्य प्रधान संरक्षक और वित्त सचिव को एनजीटी ने समन जारी किया था। दक्षिण दिल्ली रिज क्षेत्र में वन विभाग की जमीन को चिह्नित करने में देरी पर एनजीटी ने अधिकारियों को पेश होकर पक्ष रखने के लिए कहा था। (जासं)

डीडीए ने चालू किए सभी 17 स्वीमिंग पूल

नई दिल्ली : गर्मियों के मौसम में दिल्लीवासियों को तैराकी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की स्पोर्ट्स ब्रांच ने सभी 17 स्वीमिंग पूल चालू कर दिए हैं। इसमें विभिन्न खेल परिसरों में 14 जबकि लघु खेल परिसरों में तीन स्वीमिंग पूल हैं। ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि इनमें से पहले केवल चार स्वीमिंग पूल ही चल रहे थे, जबकि शेष पर काम चल रहा था। (राब्यू)

25 मई को अमेरिकन सेंटर में होंगे कार्यक्रम

नई दिल्ली : कनॉट प्लेस से कुछ ही दूर अमेरिकन सेंटर में 25 मई को ओपन हाउस में कई कार्यक्रमों और सेवाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। कार्यक्रम का लक्ष्य नए और लंबे समय से आने वाले आगंतुकों (विजिटर) के लिए यह प्रस्तुत करना है कि अमेरिकन सेंटर किस प्रकार ज्ञानवर्धन, समृद्धि और नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन देता है। (जासं)

रिश्तेदार बोले, दुकान के लिए बेटे ने की हत्या

भतीजे की हर गतिविधि पर रखी जा रही थी नजर, सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर हुआ मामले का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली: मृतक संदेश के छोटे भाई राकेश ने बताया कि उनके भाई के परिवार में हमेशा झगड़ा होता था। घर में साथ रहने के बावजूद वह परिवार वालों के लिए अंजान थे। कुछ वर्ष पहले उनके भाई अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो गए थे, लेकिन घर में साथ रहते थे। संदेश तीनों वक्त का खाना भाइयों के घर या होटल में खाते थे।

उन्होंने बताया कि अमन अपना कैफे बड़ा करना चाहता था, इसके लिए वह पिता से उनकी दुकान मांग रहा था, लेकिन इसके लिए उसके पिता तैयार नहीं थे। इस कारण संदेश का पूरा परिवार उनके खिलाफ था। उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले संपत्ति का मामला कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि संदेश की आधी संपत्ति पर परिवार का हक है और आधी संपत्ति पर संदेश का, लेकिन उनका परिवार पूरी संपत्ति हड़पना चाहता था। उन्होंने कहा अगर संदेश अपनी दुकान परिवार को दे देते तो वह अपना जीवन गुजर बसर कैसे कर पाते। दुकान हासिल करने के लिए अमन ने पिता की हत्या की। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या साजिश के तहत की गई है। वारदात वाले दिन योजना के तहत उनकी भाभी, भतीजा व भतीजी घूमने के लिए मनाली चले गए, ताकि उनपर कोई शक न कर सके। पुलिस को उन्हें भी गिरफ्तार कर पूछताछ करनी चाहिए।

सीसीटीवी फुटेज से खुला राज: संदेश के घर होने वाली लड़ाई-झगड़े की कहानी अधिकतर रिश्तेदारों को पता है। उनके दो छोटे भाई राकेश और आदेश इनके घर के सामने परिवार के साथ रहते हैं। मंगलवार को शाहदरा बड़ा बाजार में साप्ताहिक अवकाश होता है, लेकिन संदेश उस दिन भी अपनी दुकान खोलते थे। मंगलवार को उनकी दुकान बंद देखकर दोनों भाइयों को शक हुआ। दोनों ने अमन से उसके पिता के बारे में पूछा तो उसने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया। जब आदेश ने अमन से कहा कि वह भाई को देखने के लिए उनके कमरे में जा रहे हैं तो अमन ने जाने से रोक दिया। आदेश ने पहली मंजिल पर अपने हिस्से में किरायेदारों के कारण सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। इसकी मॉनीटरिंग वह अपने घर से करते हैं। आदेश व अन्य रिश्तेदारों ने संदेश को जगह-जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिले। आदेश ने फोन से पुलिस को सूचना दी कि उनके भाई गुम गए हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो पता चला सोमवार रात को संदेश दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में जाते दिख रहे हैं, लेकिन अगले दिन वह नीचे नहीं उतरे। आदेश को अमन पर शक हुआ। उन्होंने उसकी गतिविधि पर ध्यान रखा। भाई का कुछ पता न चलने पर आदेश परेशान रहे। रात में एक बजे तक वह सीसीटीवी फुटेज देखते रहे कि कुछ मिल जाए, तभी उन्होंने सीसीटीवी में देखा कि संदेश की दुकान के बाहर एक कार आकर रुकी और उसमें से अमन का दोस्त निकलकर ऊपर गया। उसके आते ही अमन दूसरी मंजिल से दो बैग उतारकर भू-तल पर लाया। आदेश को यकीन हो गया कि भाई के साथ कुछ गलत हुआ है, उन्होंने फोनकर पुलिस को सूचना दी। रिश्तेदारों के साथ मिलकर अमन और उसके दोस्त को पकड़ लिया। पुलिस को एक बैग से संदेश का कटा हुआ सिर मिला, उससे शव की पहचान हुई।

शाहदरा बड़ा बाजार स्थित मृतक संदेश अग्रवाल के घर जांच के लिए पहुंची पुलिस व साथ खड़े रिश्तेदार ● जागरण

संदेश अग्रवाल का घर व दुकान ● जागरण

रिश्ते तार-तार

- संदेश तीनों वक्त का खाना होटल या भाई के यहां खाते थे
- मंगलवार के दिन दुकान नहीं खुलने पर छोटे भाई को हुआ अंदेशा

हत्या और सुबूत मिटाने का केस दर्ज कर मृतक के बेटे अमन अग्रवाल और उसके दोस्त आयुष को गिरफ्तार किया गया है। कहासुनी के बाद अमन ने अपने पिता की हत्या की। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

आलोक कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त, पूर्वी रेंज

रातभर अकेले बैठकर शव के किए टुकड़े

अमन को पिता से इतनी नफरत थी कि उसने हत्या करने के बाद रात भर बैठकर पिता के शव के छोटे-छोटे टुकड़े किए। तड़के उन टुकड़ों को पैक कर बैगों में भरा। उसने जहां वारदात को अंजाम दिया, उस मंजिल के ठीक नीचे रहने वाले किरायेदारों को घटना की भनक तक नहीं लगी। पुलिस पूछताछ में किरायेदारों ने बताया कि उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी। हालांकि उन्होंने पुलिस को बताया कि ऊपरी मंजिल से अजीब तरह की गंध आ रही थी।

बेटे को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं

अमन को अपनी करतूत पर कोई पछतावा नहीं है। उसने पुलिस से कहा, उसने जो किया, उस पर कोई दुख नहीं है। वह पिता के शव के टुकड़ों को अलग-अलग कूड़े के ढेर पर डालने वाला था, ताकि एक जगह टुकड़े मिलने से शव की पहचान न हो जाए। उसने बताया कि उसका पिता शराब पीकर मां के साथ मारपीट और गाली-गलौच करता था। मां ने कई बार पिता को खाना देने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में वह खाना नहीं खाते थे। वह मां और बहन को अपने कपड़े भी नहीं धोने देते थे। पुलिस ने मंगलवार रात को ही संदेश की पत्नी को फोन कर सूचना दी कि बेटे ने पिता की हत्या कर दी है।

अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार की वीडियोग्राफी की तैयारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर हलफनामा दाखिल कर दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट को बताया कि अंतिम संस्कार की वीडियोग्राफी कराने के संबंध में नगर निगमों से बातचीत चल रही है। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य सचिव के अधीन बनी कमेटी अंतिम निर्णय लेगी। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि वह प्रत्येक थाने में लोगों की शिकायत सुनने के लिए एक प्रशिक्षित काउंसलर रखने पर विचार कर रही है। याचिका पर अगली सुनवाई 29 मई को होगी।

अधिवक्ता शशांक देव सुधी के माध्यम से रामानुस पुरुषोत्तम द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि उनका बेटा चार दिसंबर 2017 को लापता हो गया था और आठ दिसंबर को उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम के दो दिन के बाद ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि छह दिसंबर 2017 को पुलिस को जानकारी दी थी कि उनका बेटा लापता है, लेकिन पुलिस ने 27 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने के सिवा कुछ नहीं किया। इसके बाद जनवरी में उन्हें एक अज्ञात शव की पहचान के लिए बुलाया गया और फिर 28 जनवरी को अंतिम संस्कार किए जा चुके शवों का फोटो दिखाया, जिसमें उनके बेटे का भी फोटो था।

याचिका में आरोप लगाया गया कि जैतपुर थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उनके बेटे का शव मिलने की जानकारी उन्हें समय पर नहीं दी गई। याचिकाकर्ता ने अपने साथ हुई घटना का हवाला देते हुए मांग की कि अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार को लेकर दिशा-निर्देश बनाने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए, ताकि किसी और के साथ इस तरह की घटना न हो। साथ ही अज्ञात शवों की तस्वीर प्रमुख अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित करने के निर्देश देने की भी मांग की।

शव मिलने के 48 घंटे में नहीं हो सकता पोस्टमार्टम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने हाई कोर्ट में कहा है कि अस्पताल में शव प्राप्त होने के 48 घंटे में पोस्टमार्टम करना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक पुलिस का जांच अधिकारी पहचान होने या ना होने की रिपोर्ट दाखिल नहीं करता, तब तक पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पोस्टमार्टम के बाद शव को मोर्चरी में रखना सुरक्षित नहीं है। ऐसा करने से मोर्चरी स्टाफ में संक्रमण हो सकता है।

मोर्चरी के हालात और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को लेकर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा था। इसके लिए कोर्ट मित्र भी तैनात किए गए थे, जिन्होंने सुझाव दिया था कि 48 घंटे में पोस्टमार्टम होना चाहिए। जबकि अमूनन शव की पहचान के लिए 72 घंटे तक इंतजार किया जाता है।

टैंक की सफाई करते दो मजदूरों की मौत

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली: केशवपुरम इलाके के लॉरेंस रोड स्थित फ्लोर मिल के टैंक में सफाई करने के दौरान दो मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोबिन खान (25) व बब्बन खान (45) के रूप में हुई है। सूचना के बाद पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है और शवों का पोस्टमार्टम बुधवार को जगजीवन राम अस्पताल में कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

मोबिन व बब्बन लॉरेंस रोड स्थित फ्लोर मिल में काम करते थे। दोनों मिल में ही रहते थे। दोनों राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे। बब्बन के बड़े भाई इमामुद्दीन के अनुसार मिल के बेसमेंट में दालों को रखने के लिए करीब 140 वर्ग गज का टैंक बना हुआ है, लेकिन यह दो साल से बंद था। दाल मिल दोबारा शुरू होने वाली थी, ऐसे में मालिक ने दोनों को टैंक की सफाई करने के लिए कहा था।

मंगलवार की रात करीब नौ बजे 12 फीट गहरे टैंक की सफाई करने के लिए पहले मोबिन खान अंदर गए। अचानक वह जोर से चीखे तो बब्बन भी नीचे उतर गए, लेकिन दोनों अंदर ही फंस गए। ऐसे में मिल के अन्य कर्मचारियों ने पुलिस एवं दमकल को घटना की सूचना दी।

दमकल कर्मी ने टैंक में घुसने की कोशिश की तो अंदर गैस भरे होने के कारण उन्हें सांस लेने में दिक्कतें होने लगीं। इसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अंदर जाने की कोशिश की गई, लेकिन टैंक का मुंह छोटा होने के कारण दमकलकर्मी अंदर नहीं घुस सके। टैंक की छत तोड़कर रात 12 बजे दोनों को बाहर निकालकर दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया।

दोनों मजदूर करीब छह घंटे तक टैंक में पड़े रहे। इससे पहले भी दिल्ली के कई इलाकों में टैंक की सफाई करते वक्त लोगों की मौत हो चुकी है, बावजूद इसके अब तक सुरक्षा के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। एक बार फिर वही हुआ।

लॉरेंस रोड स्थित फ्लोर मिल, जहां जहरीली गैस से दो लोगों की मौत हो गई ● जागरण

दुखद

- केशवपुरम इलाके के लॉरेंस रोड स्थित फ्लोर मिल का मामला
- दोनों मृतक राजस्थान के रहने वाले, दो साल से बंद था टैंक

मोबिन ● फाइल फोटो

बबल ● फाइल फोटो

लिफ्ट के बहाने अगवा कर महिला से सामूहिक दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : लिफ्ट देने के बहाने अगवा कर महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना मैदानगढ़ी थाना क्षेत्र की है। पीड़िता राजस्थान की रहने वाली है। कार सवार दो आरोपितों ने घंटों दिल्ली की सड़कों पर कार दौड़ाते हुए दुष्कर्म किया, लेकिन फुलप्रूफ चेकिंग का दम भरने वाली दिल्ली पुलिस उन्हें कहीं नहीं रोक पाई। इससे पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।

पुलिस अफसरों ने बताया कि राजस्थान की पीड़िता पति से अलग आठ वर्षीय बेटी के साथ रहती है। वह अक्सर दिल्ली के फतेहपुर बेरी में एक गुरुजी के आश्रम में आती है। 16 मई की रात वह राजस्थान से दिल्ली आई थी। कुछ दिन दिल्ली में एक रिश्तेदार के घर रहने के बाद 19 मई को दोपहर बाद वह रिश्तेदार के घर से फतेहपुर बेरी स्थित आश्रम जाने के लिए निकली। गुरुजी के दर्शन कर वह रात करीब आठ बजे आश्रम से निकली और पैदल छतरपुर की तरफ जाने लगी।

इसी दौरान एक सफेद रंग की गाड़ी गुजरी तो महिला ने छतरपुर तक जाने के लिए लिफ्ट मांगी। आरोप है कि कार सवार दो लोगों ने करीब एक किलोमीटर तक तो सही दिशा में गाड़ी चलाई। उसके बाद सुनसान रास्ते में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपित कार को दिल्ली की सड़कों पर घुमाते हुए दुष्कर्म करते रहे। बाद में दोनों आरोपित गाड़ी जंगल में ले गए। वहां भी वहशियाना करतूत की। इसके बाद आरोपित पीड़िता को रात करीब साढ़े 11 बजे मैदानगढ़ी इलाके में ही सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। वारदात के बाद पीड़िता ने राहगीर के मोबाइल से कंट्रोल रूम फोन कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि वारदात में इस्तेमाल कार बरामद कर ली गई है। आरोपितों की तलाश जारी है। वहीं, पीड़िता के परिजन साठगांठ कर आरोपितों को हिरासत में लेकर छोड़ने का आरोप लगा रहे हैं।

मधु विहार में छठी की छात्रा से दरिंदगी, आरोपित धरा

तीन दिन पहले की घटना, पिता घर में सोए हुए थे, इसी दौरान दिया घटना को अंजाम

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली : मधु विहार इलाके में छठी कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पिता की शिकायत पर पुलिस ने 22 वर्षीय आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, 12 वर्षीय पीड़िता परिजनों के साथ पूर्वी विनोद नगर में रहती है। उसके पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं और मां घरेलू सहायिका का काम करती हैं। पीड़िता सरकारी स्कूल में छठी कक्षा में पढ़ती है। तीन दिन पहले दोपहर के समय पीड़िता के पिता व उसके बहन भाई घर में सोए हुए थे, घर का मुख्य दरवाजा खुला था। आरोपित घर में घुस गया और उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपित ने उसकी पिटाई कर दी। आरोपित ने पीड़िता से कहा, यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो जान से मार देगा। इसके बाद मौके से फरार हो गया। इससे पीड़िता डर गई और रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर पिता की आंखें खुलीं, पूछने पर पीड़िता ने पूरी बात बताई। इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन करके सूचना दी। पुलिस पीड़िता को अस्पताल लेकर गई। मंगलवार को पुलिस ने आरोपित को इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया।

एटा की युवती से फरीदाबाद में सामूहिक दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज

जासं, एटा : जैथरा क्षेत्र से अगवा की गई युवती से फरीदाबाद में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। कार सवार युवक उसे गाड़ी में डालकर ले गए। तीन युवक उसके साथ दुष्कर्म करते रहे। इनमें से एक आरोपित ने युवती को अलीगंज लाकर छोड़ दिया। वह थाने पहुंची और रिपोर्ट कराई।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि एक मई को वह कुरावली-जैथरा मार्ग पर अपने गांव जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी कार में सनी निवासी गांव इमानपुर केसर थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद और उसके दो साथी रवि व मुकेश आए। उन्होंने कहा कि वे उसे गांव छोड़ देंगे। मना करने पर भी युवकों ने उसे कार में डाल लिया और रुमाल सुंघाकर बेहोश कर दिया। आरोपित उसे मुल्ला होटल के पास ओल्ड फरीदाबाद ले गए। वहां मुकेश के किराये के मकान में उसे रखा। तीनों युवक उसे कमरे में बंधक बनाकर दुष्कर्म करते रहे। धमकी दी कि किसी को बताया तो तेरे भाई को मार देंगे। 18 दिन तक युवती उनके चंगुल में फंसी रही। इस दौरान रवि की मां ने भी मुंह खोलने पर उसे धमकी दी। 19 मई को मुकेश उसे बस से लेकर अलीगंज आया और छोड़ दिया। घर पहुंचकर उसने घटना बताई। तहरीर तीनों आरोपित और रवि की मां के खिलाफ जैथरा पुलिस को दी। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती ने पुलिस को बताया कि मुकेश आरोपित रवि का बहनोई है। दोनों सनी के साथ पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि आरोपितों की तलाश की जा रही है। युवती का मेडिकल कराया गया है।

विदेशी यात्री से सेटेलाइट फोन मिला

जासं, नई दिल्ली : इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आइजीआइ) एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों ने अमृतसर जा रहे आस्ट्रेलिया के नागरिक से सेटेलाइट फोन बरामद किया। इसके बाद उसे आइजीआइ एयरपोर्ट थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस यात्री से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि प्रतिबंधित सेटेलाइट फोन उसे कहां से मिला और अमृतसर में क्यों ले जा रहा था।

आइजीआइ एयरपोर्ट के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 22 मई की सुबह सात बजे टर्मिनल-3 पर एक संदिग्ध यात्री दिखाई दिया। चेकइन के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने उसके हैंड बैग की जांच की तो उसके पास एक सेटेलाइट फोन बरामद हुआ। वह एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआइ-461 से अमृतसर जाने वाला था। आरोपित की पहचान आस्ट्रेलिया निवासी सी. लान फियोरे के रूप में हुई। सुरक्षाकर्मियों ने उसकी यात्रा रद कर फोन पुलिस के सुपुर्द कर दिया। भारत में आम लोगों द्वारा सेटेलाइट फोन का प्रयोग करना प्रतिबंधित है। इसका प्रयोग सरकारी अनुमति के बाद सिर्फ सरकारी एजेंसियां ही कर सकती हैं।

पूसा रोड जंक्शन से डीबी गुप्ता रोड जंक्शन तक नो पार्किंग

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: करोल बाग में अजमल खां रोड पर जाम की समस्या खत्म करने के लिए यातायात पुलिस ने नया कदम उठाया है। डीसीपी (यातायात) उर्विजा गोयल ने पूसा रोड जंक्शन से देशबंधु (डीबी) गुप्ता रोड जंक्शन तक के क्षेत्र में पार्किंग न करने के आदेश जारी किए हैं। इस क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग न हो, यह व्यवस्था करने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस और स्थानीय निकायों की होगी।

बुधवार को जारी आदेश के अनुसार अजमल खां रोड पर पूसा रोड जंक्शन से देशबंधु गुप्ता रोड जंक्शन तक के क्षेत्र में किसी भी समय किसी भी प्रकार के वाहनों की पार्किंग नहीं होगी। मार्केट बंद हो या खुली हो, अवकाश हो या सामान्य दिन, किसी भी समय यहां वाहन नहीं खड़े किए जाएंगे।

स्थानीय एजेंसियों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे इस सूचना को बोर्ड व अन्य माध्यमों से लोगों तक पहुंचाएं, जिससे उन्हें इस व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल सके। वहीं, इस व्यवस्था को लागू करने में एजेंसियों को सक्रिय रूप से कार्य करने की बात कही गई है। स्थानीय पुलिस थाना और संबंधित थानों के डीसीपी को भी इस बारे में जानकारी देकर व्यवस्था लागू करने की बात कही गई है।

पूसा रोड अब नो पार्किंग जोन बन गया है ● जागरण

हॉस्टल में प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने की मांग

जासं, नई दिल्ली: रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) ने एम्स प्रशासन के निदेशक रणदीप गुलेरिया को महिला डॉक्टरों के छात्रावास में विजिटर के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के मामले में पत्र लिखा है। छात्रावास में बाहरी लोगों के आने पर लगा प्रतिबंध हटाने की मांग की गई है।

पत्र में कहा गया है कि महिला डॉक्टर लंबे समय तक अपना काम करती हैं। कई महीने परिवार से मिलने नहीं पहुंच पातीं। ऐसे में उन्हें अपने परिवार के सदस्यों, भाई, रिश्तेदार, पिता, माता से मिलने की अनुमति मिलनी चाहिए। एम्स प्रशासन को अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने 23 मई को इस मामले को लेकर प्रदर्शन करने का एलान किया है। यही नहीं फैसला वापस नहीं लिए जाने पर 27 मई को हड़ताल की चेतावनी दी गई है।

भलस्वा डेरी में पैसे के लेनदेन में घोषित बदमाश की हत्या

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली: भलस्वा डेरी इलाके में बुधवार को इलाके के घोषित बदमाश की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मोहम्मद मुकीम (27) के रूप में हुई है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में रखवा दिया है और मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बताया जाता है कि पैसे के लेने के कारण वारदात को अंजाम दिया गया है।

मोहम्मद मुकीम परिवार सहित गुरुनानक कॉलोनी में रहता था। परिवार में तीन बच्चे व पत्नी है। मुकीम पर आर्म्स एक्ट , मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी आदि के आधे दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। वह चार दिन पहले ही एक मामले में जेल से छूट कर बाहर आया था। बताया जाता है कि मुकीम ने रमजान नाम के व्यक्ति को बीस हजार रुपये उधार दिए थे। रमजान अब पैसे लौटा नहीं रहा था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद चल रहा था।

मुकीम का एक घर कलंदर कॉलोनी में भी है, जिसमें किराएदार रहते हैं। वह बुधवार को किराया लेने के लिए आया हुआ था। किराया लेने के बाद रास्ते में उसका ममेरा भाई अकरम मिला। वह अकरम से दस मिनट में आने की बात कहकर पास स्थित लैंडफिल साइट की तरफ चला गया। करीब आधे घंटे बीत जाने के बाद भी जब वह नहीं लौटा तो अकरम उसे देखने के लिए गया तो देखा कि रमजान व उसके तीन दोस्त बाइक से तेजी से निकल रहे हैं और कुछ दूर पर मुकीम खून से लथपथ पड़ा है। उसका गला धड़ से लगभग अलग था। उसके शरीर पर चाकू के कई निशान थे। उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई।

सड़क दुर्घटना में पति की मौत, पत्नी घायल

जासं, दक्षिणी दिल्ली: कार ने बाइक सवार पति-पत्नी को टक्कर मार दी। हादसे में पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

ओखला फेज-2 स्थित हरकेश नगर में रहने वाली मनीषा ने बताया कि वह एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड है। पति विवेकानंद पाठक के साथ वह राजस्थान के मिलकपुर में बाबा मोहन राम के दर्शन को गई थी। सोमवार सुबह वह वापस आ रहे थे। सुबह करीब साढ़े पांच बजे आउटर रिंग रोड पर सावित्री सिनेमा फ्लाइओवर के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। इसके चलते मनीषा व विवेकानंद पाठक बाइक समेत काफी दूर तक घिसटते हुए गए। राहगीरों ने दोनों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। वहां उपचार के दौरान विवेकानंद पाठक ने दम तोड़ दिया।

चेकिंग में ऑटो लुटेरे गैंग के तीन बदमाश गिरफ्तार

03 मोबाइल, हजारों की नकदी समेत दो पर्स व ऑटो बरामद

20 मई की रात करीब नौ बजे एक युवक से मोबाइल व नकदी लूटी थी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली : ऑटो लुटेरे गैंग के तीन बदमाशों को मंगलवार रात कालिंदी कुंज थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से तीन मोबाइल, हजारों की नकदी समेत दो पर्स, चाकू व ऑटो बरामद किया गया है।

पुलिस ने बताया कि नोएडा के छलेरा के रहने वाले अबरार ने मंगलवार साढ़े 12 बजे शाहीन बाग से नोएडा के लिए ऑटो लिया। ऑटो में चालक के अलावा दो और युवक थे। कालिंदी कुंज रेड लाइट के बाद चालक ने ऑटो कालिंदी कुंज घाट की तरफ मोड़ दिया। कुछ आगे चलकर चालक और ऑटो में सवार दो लुटेरों ने चाकू की नोक पर अबरार से पर्स व मोबाइल लूट लिया। विरोध पर उन्होंने चाकू मार दिया। क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस गाड़ी का सायरन सुन आरोपितों ने ऑटो दौड़ा दिया। शक होने पर पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने ऑटो की रफ्तार तेज कर दी। थोड़ी दूरी पर ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस ने मौके से त्रिलोक चंद, विक्रम सिंह निवासी मदनपुर खादर व आलम निवासी कालिंदी कुंज को गिरफ्तार कर लिया। ऑटो पलटने से घायल अबरार को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। पूछताछ में पता चला है कि तीनों आरोपितों ने 20 मई की रात करीब नौ बजे सरिता विहार फ्लाईओवर के पास एक युवक से ऐसे ही मोबाइल व नकदी लूटी थी।

पुलिस ने छह लुटेरे पकड़े

जासं, दक्षिणी दिल्ली : हजरत निजामुद्दीन थाना पुलिस ने मंगलवार रात छह लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे और निशानदेही पर चोरी की दो बाइक, एक स्कूटी, दो एटीएम कार्ड, एक देशी पिस्टल और पांच कारतूस बरामद किए गए हैं।

डीसीपी चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि अब्दुल समद, शाह रहीम, समीर खान निवासी निजामुद्दीन बस्ती, सलमान निवासी जहांगीरपुरी, ललित निवासी मदनगीर और जितेंद्र निवासी संगम विहार हैं। 17 मई को आरोपितों ने बारापुला के पास लाला लाजपत राय मार्ग पर कालकाजी के रहने वाले युवक से मोबाइल व नकदी लूटी थी। इसके अलावा दिल्ली क्षेत्र में आरोपित 30 से ज्यादा स्नेचिंग व चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पूर्व में अब्दुल समत 12, शाह रहीम व समीर खान पांच-पांच, सलमान एक, ललित पांच और जितेंद्र चार वारदातें कर चुका है।